(205)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 206—दो/2006 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 19—01—2006 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 02/2005—06/अपील

.....

बारेलाल पुत्र रामजीत सिंह ठाकुर
थनवासी—ग्राम पीपरखेड़ा
परगना व जिला—मुरैना

..... आवेदक

विरूद्ध

चौबे सिंह पुत्र चंदन सिंह गुर्जर
निवासी—ग्राम पीपरखेड़ा, परगना
व जिला—मुरैना

..... अनावेदक

.....

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदक पूर्व से एक पक्षीय है

.....

आदेश
(आज दिनांक 17-11-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 19—01—2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पीपरखेड़ा में पदस्थ कोटवार चन्दनसिंह की मृत्यु हो जाने के कारण पटेली पद रिक्त हो जाने से तहसीलदार मुरैना द्वारा अनावेदक चौबे सिंह को पात्रतावान मानकर स्थानापन्न पटेल नियुक्ति का आदेश दिया गया । तहसीलदार मुरैना द्वारा पारित आदेश को अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के न्यायालय में चुनौती दी गई । अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 47/2002—03/अपील माल में पारित आदेश

दिनांक 12.03.2003 द्वारा तहसीलदार मुरैना का आदेश अपास्त करते हुये, प्रकरण तहसीलदार, मुरैना को प्रत्यावर्तित किया गया। अनावेदक चौबे सिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2003 के विरूद्ध अपील कलेक्टर, मुरैना के समक्ष पेश की गई जो प्रकरण क्रमांक 50/2003–04/अपील माल पर दर्ज करते हुये पारित आदेश दिनांक 29.06.2004 से अपील निरस्त करते हयु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना को प्रत्यावर्तित किया जाकर निर्देश दिये गये कि संहिता की धारा 222 एवं राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में रिक्त पटेल के पद पर विधिवत प्रक्रिय का पूर्णतः पालन करते हुये नियुक्त करने बावत गुण–दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण करे । अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के न्यायालय में प्रकरण पुनः प्राप्त होने पर तहसीलदार मुरैना से प्राप्त आवेदन पत्र जो कि आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये थे के संबंध में जांच कर जांच प्रतिवेदन चाहा गया । तहसीलदार मुरैन ने जांच प्रतिवेदन दिनांक 12.10.2004 द्वारा अनावेदक चौबेसिंह के संबंध में अपना मत दिया कि चौबे सिंह के पिता चन्दनसिंह पटेल थे। ऐसी स्थिति में चौबे सिंह को पटेली पद का अनुभव है तथा पटेल की मृत्यु हो जाने के बाद चौबे सिंह अस्थाई पटेल नियुक्त हुआ और संवत 2058 व 2059 की वसूली की जाकर कार्यालय में जमा कराई गई है। आवेदक के पास भूमि कम है । अनावेदक के पास भूमि अधिक है। दोनों अभ्यर्थी कक्षा 8 पास है। अतः अनावेदक चौबे सिंह को स्थाई पटेल नियुक्त किये जाने की अनुशंसा की गई । अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना ने पारित आदेश दिनांक 18.10.2004 से अनावेदक चौबेसिंह को ग्राम पीपरखेड़ा में रिक्त पटेल के पद पर स्थाई पटेल की नियुक्ति की गई। अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2004 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा अपील अपर कलेक्टर, मुरैना के समक्ष पेश की गई जो प्रकरण क्रमांक 31/2004–05/अपील माल पद दर्ज की जाकर पारित विचाराधीन आदेश दिनांक 30.09.2005 से प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुये प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना को इस निर्देश के साथ लौटाया कि संहिता की धारा 222 निर्मित नियम 8 व 9 के तहत विधिवत चुनाव प्रक्रिया से चयन किया जावे। अपर कलेक्टर मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2005 से दुखी होकर अनावेदक चौबेसिंह ने न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष द्वितीय अपील पेश की जो प्रकरण क्रमांक 02/2005–06/अपील में दर्ज की जाकर पारित

आदेश दिनांक 19.01.2006 द्वारा अपील स्वीकार की गई । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया कि कलेक्टर न्यायालय द्वारा जब प्रकरण में चुनाव कराकर पटेल पर नियुक्ति किये जाने के निर्देश दिये गये थे, तब ऐसी स्थिति में यह निर्देश भी स्थिति में अवैध नहीं थे, क्योंकि जब समान योग्यत वाले उम्मीदवार मैदान में होते हैं, तब ऐसी स्थिति में केवल चुनाव ही एक सही रास्ता है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर विचार किये बिना ही आदेश पारित किया है। जहां दो अभ्यर्थी हो और समान योग्यता रखते हो वहां संहिता की धारा 222 में निर्मित नियम 8 एवं 9 का पालन किया जाना आवश्यक होता है किन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा इस वैधानिकता के विपरीत आदेश पारित किया है। जब ग्राम में पटेल की व्यवस्था नहीं थी अथवा पद रिक्त हो गया था, तब ऐसी स्थिति में विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुये इश्तहार का प्रकाशान कर आवेदन पत्र मांगे जाना चाहिये था, किन्तु अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया का पालन किये बिना ही आदेश पारित किया है। पटेली नियमों में दिये गये प्रावधानों का पालन किये बिना एवं फर्जी अंकसूची तथा नोडियूज के आधार पर में आदेश पारित किया है। अपास्त किये जाने योग्य है। क्योंकि अनावेदक पर शासकीय धन बकाया है तथा उसके द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। तथा वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है । अतः इस कारण किसी भी स्थिति में पटेल पद पर नियुक्त किये जाने योग्य नहीं होने पर भी जो आदेश अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किया है, निरस्त किये जाने योग्य है। अंत आवेदक के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदक पूर्व पेशी में उपस्थित था, परन्तु नियत पेशी में उपस्थित नहीं। उन्हें तीन बार पुकार लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया । प्रकरण में अपर कलेक्टर, मुरैना ने पारित अपने आदेश में मात्र दो बिन्दुओं को आधार बनाया है एक तो रे0नि0 1992 पृष्ठ 270 में

प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत को और दूसरा अनावेदक का रिकॉर्ड आपराधिक रहा है। इन दोनों विन्दुओं पर भी गौर किया गया। रे0नि0 1992 पृष्ठ 270 में जो न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित जो न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा किया गया है । उक्त न्यायिक सिद्धांत में यह माना है कि जब दोनों अभ्यार्थियों की योग्यतायें समान हो तो संहिता की धारा 222 में निर्मित नियम 8 व 9 अनुसार पटेल की नियुक्ति की जावे। इसमें यह भी दिया गया है बड़े खाते के स्वामित्व को अधिमान नहीं दिया जावेगा। वर्तमान प्रकरण में बड़े खाते अथवा अधिक शैक्षाणिक योग्यता का प्रश्न ही नहीं है। इसलिये इस न्यायिक दृष्टांत का लाभ आवेदक को नहीं दिया जा सकता है। अनावेदक का अनुभव ही उसे रमाई पटेल की नियुक्ति में सहायक सिद्ध हुआ है। अनावेदक में यह पृथक से अधिक योग्यता रखता है। पटेली कार्य का अनुभव उसे उसके पिता के समय से ही रहा है और अनावेदक द्वारा संवत 2058 एवं 2059 में वसूली की जाकर कार्यालय में जमा कराई है। स्पष्ट है कि उसे पटेली कार्य का पूर्ण अनुभव है।

6/ प्रकरण में जहां तक आपराधिक होने का प्रश्न है तो तहसीलदार मुरैना ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 12.10.2004 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अनावेदक चौबे सिंह न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.88 को ही बरी किया जा चुका है। यह भी सर्वमान्य सिद्धांत है कि जब कोई भी व्यक्ति न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया जाता तब तक उसे अपराधी नहीं माना जा सकता है। न्यायालय में अनावेदक चौबे सिंह को बरी कर दिया गया यानि कि उसे दोषमुक्त कर दिया गया है। तब अनावेदक कैसे दोषी या आपराधिक है। अपर कलेक्टर, मुरैना ने अपने आदेश में इसे स्पष्ट नहीं किया है। मात्र लिख देना ही पर्याप्त नहीं है। विस्तृत विवेचना करना आवश्यक होता । अतः अपर कलेक्टर, मुरैना के द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के आदेश दिनांक 18.10.2004 का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने विस्तृत आदेश दिनांक 18.10.2004 में अनावेदक चौबेसिंह को पूर्ण जांच उपरांत एवं तहसीलदार, मुरैना से कराने कराने एवं अनुशंसा के आधार पर ही स्थाई पटेल नियुक्त किया था, जो संहिता की धारा 222 के तहत उचित आदेश था। इसकी पुष्टि अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने अपने विस्तृत आदेश में पूर्ण विवेचना सहित की है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने जो आदेश पारित किया है, उसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती । अतः

अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.2006 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । परिणामतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर